डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि.पू.भु./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जून 2002—ज्येष्ठ 21, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2002

क्र. सी-3-18-2001-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लोक सेवाओं तथा पदों पर पदोन्नति के आधार का अवधारण करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) किसी स्थापन में सेवा या पद के संबंध में "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "**बेकलॉग**" से अभिप्रेत है पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये ऐसी आरक्षित रिक्तियां, जो आगामी वर्ष/वर्षों में एक सुभिन्न समूह के रूप में पदोन्नति द्वारा भरी जानी हैं, चाहे वे किसी भी कारण से, पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी जाना शेष रही हों;

(ग) "**बेंचमार्क ग्रेड**" से अभिप्रेत है, पदोन्नति के लिये चयन सूची में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होने हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों (ए. सी. आर.) में समग्र श्रेणीकरण के संबंध में न्यूनतम अपेक्षा;

(घ) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, सेवा की संख्या या सेवा का भाग, जिसमें अस्थायी तथा स्थायी दोनों पद सम्मिलित है और उसमें आकस्मिक श्रमिक, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वालों एवं दैनिक मजदूरी पाने वालों के रूप में लगे हुए कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं. ऐसे पदों के समूह से, जिसके लिए एक संयुक्त पदक्रम सूची भरती नियमों के अनुसार तैयार की जाना पृथक् रूप से अपेक्षित है, इस सेवा के लिये एक भागिक कॉडर गठित होगा;

(ङ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(च) **"स्थापन"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का, या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसायटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्वावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और इसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं है;

(छ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) **"लोक सेवा और पद"** से अभिप्रेत है, स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवायें तथा पद;

(झ) **"आरक्षण"** से अभिप्रेत है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये सेवाओं में पदों का आरक्षण;

(ञ) **"रोस्टर"** से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली समस्त स्पष्ट रिक्तियों के चालू लेखों का विहित रजिस्टर, जैसा कि इन नियमों के नियम 9 में उपबंधित है;

(ट) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) **"चयन सूची"** से अभिप्रेत है, ऐसे लोक सेवकों की सूची, जो संबंधित भरती नियमों में उपबंधित किए गए अनुसार अगले वेतनमान या उच्च श्रेणी के पद के लिये उपयुक्त पाये जाएं;

(ण) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा से भिन्न राज्य के कार्यकलाप से संबंधित पदों के समूह की सेवा, जो सरकार द्वारा उस रूप में संगठित तथा पदाभिहित हो;

(त) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(थ) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली और दिसम्बर के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि.

3. **विस्तार और लागू होना:**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा किन्हीं सेवा नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये नियम, इन नियमों में यथा परिभाषित स्थापन को लागू होंगे, किन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 3 के खण्ड (1), (3) एवं (5) में विनिर्दिष्ट नियोजनों को लागू नहीं होंगे.

4. **पदोन्नति हेतु आधार का अवधारणः—** (1) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर की जाएगी.

(2) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी.

5. **पदोन्नति में आरक्षणः**—सभी श्रेणियों के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण निम्नानुसार होगाः—

अनुसूचित जातियों के लिये (1)	अनुसूचित जनजातियों के लिए (2)
16 प्रतिशत	20 प्रतिशत

6. **वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नतिः**—(1) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी प्रवर्गों के लिए कोई विचारण क्षेत्र नहीं होगा.

(2) पदोन्नति के लिये केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने भरती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विहित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो. तथापि उन समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, परन्तु केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा.

स्पष्टीकरणः—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीतिः— संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस केलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(3) वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्गों/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जाएंगी. एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिये आरक्षित की जाने वाले रिक्तियों की संख्या की गणना उस रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी. यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पृथक् से पदोन्नति के लिये लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी. विभागीय पदोन्नति समिति पृथक् से पूर्व के वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तद्नुसार चयन सूची तैयार करेगी. तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी.

(5) विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी. तथापि, उन मामलों में, जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी.

(6) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय पदोन्नति समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी.

(7) इस पद्धति से पदों के भरने के लिये, विभागीय पदोन्नति समिति, प्रत्येक लोक सेवक के मामले पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर पृथक्-पृथक् विचार करेगी, अर्थात् लोक सेवकों की योग्यताओं का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा. विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के अभिलेखों पर पृथक्-पृथक् विचार करेगी तथा उन्हें "उपयुक्त" अथवा "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करेगी.

(8) अनारक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये पृथक्-पृथक् चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें ऐसे अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के उतनी संख्या में नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जो इन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बराबर हों. इसके अतिरिक्त दो लोक सेवकों के अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हों, के नाम भी, उपनियम (2) में यथाविहित प्रत्येक प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे.

(9) प्रत्येक सूची में सम्मिलित किये गये लोक सेवकों के नाम उनकी वरिष्ठता के उसी क्रम में रखे जाएंगे, जिस क्रम में वे संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, जिससे कि उनकी पदोन्नति की जानी है, वेतनमान में विद्यमान हैं.

(10) इन पृथक्-पृथक् चयन सूचियों से लोक सेवकों की पदोन्नति फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाये गये विहित क्रम के अनुसार की जाएगी.

(11) तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की, उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, जिस पर पदोन्नति की जाना है, वेतनमान में पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित करने के लिए, उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की एक संयुक्त चयन सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी, जिस क्रम में कि उनके नाम, उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, जिससे कि पदोन्नति की जा रही हो, वेतनमान की वरिष्ठता सूची में हों.

(12) उपर्युक्त संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक इसके पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ (एनब्लाक) रखे जायेंगे.

(13) जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित हैं, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसे पद तब तक अग्रनीत किए जाएंगे, अर्थात् रिक्त रखे जाएंगे, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए. किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाएगा.

(14) जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हों, तब बेकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां, पृथक् तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी. और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी, जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं. दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बेकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, बेकलॉग की रिक्तियां भरने के लिये छह मास के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा.

(15) जब कोई ऐसा लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाए. सुसंगत बातों पर विचार करके ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा. यदि पदोन्नति से इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य है, तो चयन सूची में के अगले लोक सेवक को पदोन्नत किया जा सकेगा. तथापि ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर पैनल की विधिमान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्भूत होती है, ऐसे लोक सेवकों को, जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्थापित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा. उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पारिणामिक पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा:

उन मामलों में, जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति के लिए उसके इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों, वहां वह लोक सेवक को पदोन्नति स्वीकार करने के लिये बाध्य करेगा और उस दशा में, जब लोक सेवक पदोन्नत किए जाने के लिये तब भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने से इंकार के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई भी की जा सकेगी.

7. **योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति:**—(1) जहां योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां की जाना हों, विचारण क्षेत्र अर्थात् फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पात्र लोक सेवकों में से पदोन्नति के लिये विचार किए जाने वाले लोक सेवकों की संख्या निम्नानुसार होगी:—

वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या (1)	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार किया जाएगा (2)
1	5
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16

आगे गणना के लिए फार्मूला यह रहेगा कि प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को दुगुना कर उसमें 4 जोड़ा जाए.

(2) जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक ऊपर दर्शाये गये अनुसार विचारण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तो रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा और इस विस्तारित विचारण क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के नामों पर आरक्षित पदों को भरने के लिये विचार किया जाएगा.

(3) पदोन्नति के लिये केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पदोन्नति के लिये भरती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत हों. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के, जो विचारण क्षेत्र में हों, नामों पर विचार किया जाएगा.

स्पष्टीकरण:—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस केलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(4) वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिये रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्च संवर्गों/सेवा के भाग/पदों के उच्च वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जायेगी. एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की गणना, उस रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है.

(5) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी. यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक पूर्व वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पृथक् से पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी. विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति पृथक् से पूर्व वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिये पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तद्नुसार चयन सूची तैयार करेगी. तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी.

(6) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति लोक सेवकों की पदोन्नति के लिये उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी. तथापि, उन मामलों में जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी.

(7) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी.

(8) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये, बेंचमार्क ग्रेड "बहुत अच्छा" होगा.

(9) विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति, विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों की योग्यता का परस्पर तुलनात्मक मूल्यांकन करेगी और उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर लोक सेवकों की योग्यता का समग्र रूप से श्रेणीकरण करेगी और उन्हें "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा", "औसत" एवं "घटिया", जैसी भी स्थिति हो, के प्रवर्ग में रखेगी. तथापि, केवल उन लोक सेवकों को जिन्हें "बहुत अच्छा" तथा उससे उच्च में श्रेणीकृत किया गया हो, "उत्कृष्ट" के रूप में श्रेणीकृत को सबसे ऊपर, उसके पश्चात् "बहुत अच्छा", श्रेणीकृत लोक सेवकों को रखते हुए, रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, समान श्रेणी वाले लोक सेवकों के साथ फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा.

(10) अनारक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिए पृथक्-पृथक् चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें ऐसे अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों की ऐसी संख्या में नाम सम्मिलित किये जायेंगे जो इन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बराबर है. इसके अतिरिक्त, दो लोक सेवकों के नाम अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत के नाम, जो भी अधिक हो, उपनियम (3) में यथाविहित प्रत्येक प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे.

(11) उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पदोन्नति, चयन सूचियों में आने वाले नामों के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाये गये विहित क्रम के अनुसार उक्त चयन सूचियों से की जायेगी. आरक्षित पदों को केवल उसी वर्ग के उन लोक सेवकों द्वारा भरा जाएगा, जिनके लिये पद आरक्षित हैं.

(12) उस संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में, जिसमें पदोन्नति की जाना है, तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित करने के लिये, उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की एक संयुक्त चयन सूची, विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा अवधारित योग्यता के क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी.

(13) उपर्युक्त संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ (एनब्लाक) रखे जायेंगे.

(14) जहां विचारण क्षेत्र में अपेक्षित "बेंचमार्क श्रेणी" के लोक सेवक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहां अपेक्षित बेंचमार्क के लोक सेवक पैनल में रखे जाएंगे और भरी नहीं गयी रिक्तियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, मूल विचारण क्षेत्र से परे अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों पर विचार करके विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की नई बैठक आयोजित करेगा.

(15) जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित हैं, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसा पद तब तक अग्रनीत किया जाएगा, अर्थात् रिक्त रखा जायेगा, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए. किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाएगा.

(16) जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हों तब बेकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं. दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होंगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बेकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी:

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी, बेकलॉग की रिक्तियां भरने के लिए छह मास के अंदर विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा.

(17) जब कोई ऐसा लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाए. सुसंगत बातों पर विचार करके ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा. यदि पदोन्नति से इंकार के लिये प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य है, तो चयन सूची में के अगले लोक सेवक को पदोन्नत

किया जा सकेगा. तथापि ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर पैनल की विधिमान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्भूत होती है, ऐसे लोक सेवकों को, जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्थापित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो, ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा. उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में पारिणामिक पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा:

उन मामलों में, जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति के लिये उसके इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों, वहां वह लोक सेवक को पदोन्नति स्वीकार करने के लिये बाध्य करेगा और उस दशा में, जब लोक सेवक पदोन्नत किए जाने के लिये तब भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने से इंकार के लिये उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई भी की जा सकेगी.

8. **मूल्यांकन के मानकों को कम करना**:—सरकार, आदेश द्वारा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के पक्ष में, राज्य के कार्यकलापों से सम्बद्ध सेवाओं या पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर पदोन्नति के मामले में मूल्यांकन के मानकों को कम करने का उपबंध कर सकेगी.

9. **रोस्टर**:—(एक) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सदैव, पदोन्नति से भरे जाने वाले संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान के संबंध में, इन नियमों से संलग्न अनुसूचित जाति प्रवर्ग की बेकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची I में, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की बेकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची II में और सुसंगत वर्ष की विद्यमान रिक्तियों के लिये अनुसूची III में दर्शाये अनुसार विहित प्ररूप में रोस्टर संधारित किया जायेगा. प्रत्येक ऐसे संवर्ग/सेवा का भाग/पद के वेतनमान के लिये पृथक्-पृथक् रोस्टर संधारित किये जायेंगे.

(दो) कोई पदोन्नति करने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी सदैव, रोस्टर से सुनिश्चित करेगा कि रिक्ति आरक्षित है अथवा अनारक्षित है और यदि आरक्षित है तो यह किसके लिये आरक्षित है. पदोन्नति के तत्काल पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोस्टर में उसकी विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी तथा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(तीन) रोस्टर वर्षानुवर्ष का एक चालू लेखा है तथा तद्नुसार संधारित किया जायेगा. यदि पदोन्नति किसी विशिष्ट वर्ष में चक्र के किसी विशिष्ट बिन्दु पर रुकती है, यथा 5वें बिन्दु पर, तो पश्चात्वर्ती वर्ष में पदोन्नति अगले बिन्दु यथा 6वें बिन्दु से प्रारंभ होगी.

10. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण**:—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

11. **पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व**:—यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

12. **आयोग से परामर्श**:—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है.

13. **निर्वचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**:—यदि इन नियमों के प्रवर्तन के संबंध में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो उसे राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

14. **निरसन तथा व्यावृत्ति**:—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति के आधार का निर्धारण) नियम, 1998 तथा इन नियमों के तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और अनुदेश, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों तथा जो उन लोक सेवकों को लागू हों, जिन्हें ये नियम लागू होंगे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों तथा अनुदेशों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

15. **भरती नियमों में संशोधन**:—राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिये भरती को विनियमित करने वाले सभी नियम, इन नियमों में यथा-उपबंधित सीमा तक संशोधित किये गये समझे जाएंगे.

अनुसूची-I

(देखिए नियम 9)

अनुसूचित जातियों की बेकलॉग रिक्तियों के लिये रोस्टर

1. **कार्यालय का नाम :** --
2. **संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान :** --

वर्ष	वर्ष की बेकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्रमांक, जो नहीं भरे जा सके	बेकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये गये अनुसूचित जातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची-II

(देखिए नियम 9)

अनुसूचित जनजातियों की बेकलॉग रिक्तियों के लिये रोस्टर

1. **कार्यालय का नाम :** --
2. **संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान :** --

वर्ष	वर्ष की बेकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्रमांक, जो नहीं भरे जा सके	बेकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये गये अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची-III

(देखिए नियम 9)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गों/पदों के लिये

कार्यालय का नाम: ---------------------

संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान: ---------------------

आरक्षण

अनुसूचित जाति . . 16 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति . . 20 प्रतिशत

रोस्टर बिन्दु	अनारक्षित/आरक्षित	अग्रनीत किए जाने या भरे जाने का वर्ष	शासकीय सेवक का, जिसके द्वारा पद भरा गया, नाम एवं जाति	क्या वह आरक्षित प्रवर्ग का है	आदेश क्रमांक तथा तारीख	नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अनारक्षित						
2.	अनारक्षित						
3.	अनुसूचित जनजाति						
4.	अनारक्षित						
5.	अनारक्षित						
6.	अनुसूचित जाति						
7.	अनारक्षित						
8.	अनारक्षित						
9.	अनुसूचित जनजाति						
10.	अनारक्षित						
11.	अनारक्षित						
12.	अनुसूचित जाति						
13.	अनारक्षित						
14.	अनुसूचित जनजाति						
15.	अनारक्षित						
16.	अनारक्षित						
17.	अनुसूचित जाति						
18.	अनारक्षित						
19.	अनारक्षित						
20.	अनुसूचित जनजाति						
21.	अनारक्षित						
22.	अनारक्षित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23.	अनुसूचित जाति						
24.	अनारक्षित						
25.	अनुसूचित जनजाति						
26.	अनारक्षित						
27.	अनारक्षित						
28.	अनुसूचित जनजाति						
29.	अनारक्षित						
30.	अनारक्षित						
31.	अनुसूचित जाति						
32.	अनारक्षित						
33.	अनारक्षित						
34.	अनुसूचित जनजाति						
35.	अनारक्षित						
36.	अनारक्षित						
37.	अनुसूचित जाति						
38.	अनारक्षित						
39.	अनुसूचित जनजाति						
40.	अनारक्षित						
41.	अनारक्षित						
42.	अनुसूचित जाति						
43.	अनारक्षित						
44.	अनारक्षित						
45.	अनुसूचित जनजाति						
46.	अनारक्षित						
47.	अनारक्षित						
48.	अनुसूचित जाति						
49.	अनारक्षित						
50.	अनुसूचित जनजाति						
51.	अनारक्षित						
52.	अनारक्षित						
53.	अनुसूचित जनजाति						
54.	अनारक्षित						
55.	अनारक्षित						
56.	अनुसूचित जाति						
57.	अनारक्षित						
58.	अनारक्षित						
59.	अनुसूचित जनजाति						
60.	अनारक्षित						
61.	अनारक्षित						
62.	अनुसूचित जाति						
63.	अनारक्षित						
64.	अनुसूचित जनजाति						
65.	अनारक्षित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66.	अनारक्षित						
67.	अनुसूचित जाति						
68.	अनारक्षित						
69.	अनारक्षित						
70.	अनुसूचित जनजाति						
71.	अनारक्षित						
72.	अनारक्षित						
73.	अनुसूचित जाति						
74.	अनारक्षित						
75.	अनुसूचित जनजाति						
76.	अनारक्षित						
77.	अनारक्षित						
78.	अनुसूचित जनजाति						
79.	अनारक्षित						
80.	अनारक्षित						
81.	अनुसूचित जाति						
82.	अनारक्षित						
83.	अनारक्षित						
84.	अनुसूचित जनजाति						
85.	अनारक्षित						
86.	अनारक्षित						
87.	अनुसूचित जाति						
88.	अनारक्षित						
89.	अनुसूचित जनजाति						
90.	अनारक्षित						
91.	अनारक्षित						
92.	अनुसूचित जाति						
93.	अनारक्षित						
94.	अनारक्षित						
95.	अनुसूचित जनजाति						
96.	अनारक्षित						
97.	अनारक्षित						
98.	अनुसूचित जाति						
99.	अनारक्षित						
100.	अनुसूचित जनजाति						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2002

क्र. सी-3-18-2001-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-18-2001-3-एक, दिनांक 11 जून 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 11th June 2002

No. C-3-18-2001-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 16 and 335 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the determination of the basis for promotion on the public services and posts and relating to reservation in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, namely :—

Rules

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) '**Appointing Authority**' in relation to a service or post in an establishment means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(b) '**Backlog**' means the reserved vacancies for Sheduled Castes and Sheduled Tribes in all cases of promotion which have remained unfilled during the earlier year or years due to any reason whatsoever to be filled up by promotion as a distinet group in the next year/years;

(c) '**Benchmark grade**' means a minimum requirement in respect of overall grading in Annual Confidential Reports (ACRs) to qualify for inclusion in select list for promotion;

(d) '**Cadre**' means a strength of service or part of the service consisting of both temporary and permanent posts and does not include employees engaged as a casual labour, workcharged, contingency-paid and daily wager Group of posts for which a combined gradation list is separately required to be prepared as per recruitment rules will constitute a part cadre for this service;

(e) '**Commission**' means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(f) '**Establishment**' means any office of the State Government or a local authority or Statutory authority constituted under any Act of the State for the time being in force, or a University or a Company, Corporation or a Co-operative Society in which not less than fifty one percent of the paidup share capital is held by the State Government or the institution receiving grant-in-aid or any cash grant from the State Government and includes a work charged or contingency-paid establishment but does not include the establishment covered under Article 30 of the Constitution;

(g) '**Government**' means Government of Madhya Pradesh;

(h) '**Public Service & posts**' means the services and posts in any office of the establishment;

(i) '**Reservation**' means reservation of posts in the services for the members of Scheduled Castes and the Schedule Tribes;

(j) '**Roster**' means a prescribed register of running account of all clear vacancies to

be filled up by promotion of public servants belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and unreserved category as provided in Rule 9 of these Rules;

(k) **'Schedule'** means a Schedule appended to these rules;

(l) **'Scheduled Castes'** means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution;

(m) **'Scheduled Tribes'** means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specifid as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution;

(n) **'Select list'** means a list of such public servants who are adjudged suitable to the next pay scale or the higher grade of the post as provided in the respective Recruitment Rules;

(o) **'Service'** means a service of group of posts in connection with the affairs of the State other than the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service Organised and designated as such by Government;

(p) **'State'** means State of Madhya Pradesh;

(q) **'Year'** means the period commencing from the 1st day of January and ending on 31st day of December;

3. **Scope and application:**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 and notwithstanding anything contained in any Service Rules, these rules shall apply to the establishment as defined in these rules, but shall not apply to the employments specified in clauses (1), (3) and (5) of Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

4. **Determination of basis for promotion:**—(1) Promotion from class IV to higher pay scale of class IV, class IV to class III, class III to higher pay scale of class III, class III to class II, class II to higher pay scale of class II and class II to class I posts shall be made on the basis of "seniority subject to fitness".

(2) Promotion from class I to higher pay scale of class I posts shall be made on the basis of "merit-cum-seniority".

5. **Reservation in promotion:**—Reservation in promotion in all classes of posts/services for the Public servants belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be as under :—

For Scheduled Castes (1)	For Scheduled Tribes (2)
16 percent	20 percent

6. **Promotion on the basis of seniority subject to fitness:**—(1) In such cases where the promotion is to be made on the basis of seniority subject to fitness, there shall be no zone of consideration for all categories.

(2) The names of only such public servant shall be considered for promotion, who have completed the perscribed qualifying service in their feeder cadre/part of the service/pay scale of post according to the Recruitment Rules. It is, however, not necessary to consider all the names of public servant who have completed the prescribed minimum length of service but only such number of cases of public servant shall be considered according to the seniority which shall be sufficient to cover the number of existing and anticipated vacancies due to retirement during the year under each category. In addition to this, with a view of inclusion, in the select list, the names of two public servant or 25 percent of the number of the public servant included in select list whichever is more, the names of the required number of the public servant shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

Explanation:—Manner of computation for eligibility for promotion:—Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calender year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(3) The number of vacancies for promotion during the course of the year i.e. from 1st January to 31st December shall be worked out after taking into account the existing and anticipated vacancies on account of retirement, and promotions to higher cadres/part of the service/higher pay scale of posts. Vacancies arising out of deputation for periods exceeding one year shall also be taken into account. The number of vacancies to be reserved for public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be worked out on the basis of the roster which is required to be maintained in accordance with the provisions of rule 9 of these rules.

(4) The meeting of the Departmental Promotion Committee shall be held every year. It shall consider the suitability of the public servants for promotion separately with reference to the vacancies of each year starting with the earliest year onwards. The Departmental Promotion Committee shall consider the suitability of the public servants for promotion to fill up the unfilled vacancies of the earlier year or years separately and prepare the select list for the relevant year accordingly. Thereafter the Departmental Promotion Committee shall consider the suitability of the public servants for promotion to fill up the existing and anticipated vacancies of the current year.

(5) The Departmental Promotion Committee shall assess the suitability of the public servants for promotion on the basis of their service record and with particular reference to the Annual Confidential Reports (ACRs) for 5 preceding years. However, in eases where the required qualifying service is more than 5 years, the Departmental Promotion Committee shall see the record with particular reference to the ACRs for the years equal to the required qualifying service.

(6) When one or more ACRs are not available for any reason for the relevant period, the Departmental Promotion Committee shall consider the ACRs of the years preceding the period in question.

(7) For filling up the posts by this method, the Departmental Promotion Committee shall consider the case of each public servants separately on the basis of his own merit, that is to say, that there shall be no need to make a comparative assessment of the merits of public servant. The Departmental Promotion Committee shall consider the records of each public servant separately and shall categorise them as 'fit' or 'not fit'.

(8) Separate select lists shall be prepared for the public servants of unreserved category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes category in which the names of such number of public servants belonging to unreserved category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes category shall be included which is equal to the number of posts reserved for each of these categories. In addition to this, names of two public servants or twenty five percent of the number public servants included

in the select list whichever is more, will also be included in the select list of each category as prescribed in sub rule (2).

(9) The names of public servants included in each list shall be arranged in the same order of their seniority as they existed in the cadre/part of the service/pay scale of post from which promotion is to be made.

(10) The promotion of public servants shall be made from these separate select lists according to their seniority in the feeder cadre/part of the service/pay scale of post and according to the prescribed order shown in the roster.

(11) In order to determine the inter-se-seniority of the public servants belonging to the three categories in the cadre/part of the service/pay scale of post to which promotion is to be made, a combined select list of the above three categories of public servants shall be prepared in the same order in which their names appear in the seniority list of the cadre/part of the service/pay scale of post from which the promotion is being made.

(12) The names of public servants promoted on the basis of above combined select list shall be placed enblock below the name of last public servant promoted on the basis of the immediately preceding year's combined select list.

(13) The reserved posts which remain unfilled due to non-availability of suitable pubilc servants of the category for which the post is reserved despite consideration of the names of all public servants eligible for consideration as per the Recruitment Rules shall be carried forward, that is to say, shall be kept vacant until the suitable public servants belonging to that reserved category is available. In no circumstances any vacancy of reserved category shall be filled-up by promotion from the public servant belonging to any other category.

(14) Wherever the reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all cases of promotion have remained unfilled in the earlier year or years, the backlog and/or carried forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with the reserved vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty percent reservation on total number of vacancies of that year. In other words, the ceiling of fifty percent on filling up of reserved vacancies would apply only on the reserved vacancies which arise in the current year and the backlog/carried forward reserved vacancies for Scheduled Castes or Scheduled Tribes of earlier year or years would be treated as a separate and distinct group and would not be subject to ceiling of fifty percent :

Provided that the appointing authority shall convene a special meeting of Departmental promotion Committee within six months to fill up backlog vacancies and if such vacancies still remain unfilled, they shall not be de-reserved in any manner for filling up by the public servants not belonging to the category for whom the post or posts are reserved.

(15) When a public servant, whose name is included in the select list wants to refuse promotion, he may make a written request that he may not be promoted. Such request shall be considered by the Appointing Authority taking relevant aspects into consideration. If the reasons adduced for refusal of promotion are acceptable to the Appointing Authority, the next public servant in the select list may be promoted. However, since it may not be administratively possible or desirable to offer appointment to the public servants who initially refused promotion, on every occasion on which a vacancy arises during the period of validity of the panel, no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is letter. On the eventual promotion to the higher cadre/part of the service/pay scale of post, such public servant shall lose seniority vis-a-vis his juniors promoted in the preceding year to the higher cadre/part of the service/pay scale of post.

In cases where the reasons adduced by the public servant for his refusal for promotion are not acceptable to the Appointing Authority then he shall enforce the promotion on the public servant and in case the public servant still refuses to be promoted, then even disciplinary action may be taken against him for refusing to obey his order.

7. **Promotion on the basis of merit-cum-seniority:**—(1) Where promotion are to be made on the basis of merit-cum-seniority, the zone of consideration, that is the number of public servants to be considered for promotion out of those eligible public servants in the feeder cadre/part of the service/pay scale of post shall be as under :—

No. of vacancies to be filled during the year (1)	No. of persons to be considered (2)
1	5
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16

The formula for the further calculation shall be that the "4" be added to the double the number of anticipated vacancies.

(2) Where adequate number of public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available within the zone of consideration as mentioned above, then the zone of consideration may be enlarged to seven times the number of vacancies and the names of only such public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are in the enlarged zone of consideration shall be considered for filling up the reserved posts.

(3) The names of only such public servants shall be considered for promotion who have completed the requisite number of years of service in the feeder cadre/part of the service/pay scale of post according to the Recruitment Rules for promotion and who are within the zone of consideration. In addition to this, in view of inclusion, in the select list, the names of two public servants or 25 percent of the number of the public servants included in select list whichever is more, the names of the required number of the public servants who are in the zone of consideration shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

Explanation:—Manner of computation for eligibility for promotion:—Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calender year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(4) The number of vacancies for promotion during the course of the year i.e. from 1st January to 31st December shall be worked out after taking into account the existing and anticipated vacancies on account of retirement and promotions to higher cadres/part of service/higher pay scale of posts. Vacancies arising out of deputation for periods exceeding one year shall also be taken into account. The number of vacancies to be reserved for public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be worked out on the basis of the roster which is required to be maintained in accordance with the provisions of rule 9 of these rules.

(5) The meeting of the Departmental Promotion/Screening Committee shall be held every year. It shall consider the suitability of the public servant for promotion separately with reference to the vacancies of each previous year starting with the earliest year onwards. The Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall consider, the suitability of the public servants for promotion to fill up the unfilled vacancies of the earlier year or years separately and prepare the select list for the relevant year accordingly. Thereafter the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee shall consider the suitability of the public servants for promotion to fill up the existing and anticipated vacancies of the current year.

(6) The Departmental Promotion/Screening Committee shall assess the suitability of the public servants for promotion on the basis of their service record and with particular reference to the Annual Confidential Reports (ACRs) for 5 preceding years. However, in cases where the required qualifying service is more than 5 years, the Departmental Promotion/Screening Committee shall see the record with particular reference to the ACRs for the years equal to the required qualifying service.

(7) When one or more ACRs are not available for any reason for the relevant period, the Departmental-Promotion/Screening Committee shall consider the ACRs of the years preceding the period in question.

(8) For the eligibility for promotion from class I to higher pay scale of class I posts, the benchmark grade shall be "Very Good".

(9) The Departmental Promotion/Screening Committee shall make a relative/comparative assessment of the merits of public servants who are within the zone of consideration and make an overall grading of the public servants merit on the basis of their service records and place them in the categories as "Outstanding", "Very-Good", "Good", "Average" and "Poor" as the case may be. However, only those public servants who are graded as "Very-Good" an above will be included in the select list, by placing the public servants graded as "Outstanding" on top followed by those graded as "Very-Good", subject to availability of vacancies, with the public servants with the same grading maintaining their inter-se-seniority in the feeder cadre/part of the service/pay scales of post.

(10) Separate select lists shall be prepared for the public servants of unreserved category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes category in which the names of such number of public servants belonging to unreserved category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes category shall be included which is equal to the number of posts reserved for each of these categories. In addition to this, names of two public servants or twenty five percent of the number of public servants included in the select list whichever is more, will also be included in the select list of each category as prescribed in sub-rule (3).

(11) The promotion to the higher cadre/part of the service/pay scale of post shall be made from these select lists according to the names appear in the said select lists and according to the prescribed order shown in the roster. Reserved posts shall be filled up only by the public servants belonging to the same class for which the posts reserved.

(12) In order to determine the inter-se-seniority of the public servants belonging to the three categories in the cadre/part of the service/pay scale of post to which the promotion is to be made, a combined select list of the above three categories of public servants shall be prepared according to the order of merit determined by the Departmental Promotion/Screening Committee.

(13) The names of public servants promoted on the basis of above combined select list shall be placed enblock below the name of last public servant promoted on the basis of the immediately preceding year's combined select list.

(14) Where sufficient number of public servants with the required benchmark grade are not

available within the zone of consideration, public servants with the required benchmark will be placed on the panel and for the unfilled vacancies, the appointing authority, shall hold a fresh meeting of the Departmental promotion/Screening Committee by considering the required number of public servants beyond the original zone of consideration.

(15) The reserved post which remains unfilled due to non-availability of suitable public servants of the category for which the post is reserved despite consideration of the names of all public servants eligible for consideration as per the Recruitment Rules, shall be carried forward, that is to say, shall be kept vacant until the suitable public servant belonging to that reserved category is available. In no circumstances any vacancy of reserved category shall be filled-up by promotion from the public servant belonging to any other category.

(16) Wherever the reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all cases of promotion have remained unfilled in the earlier year or years, the backlog and/or carried forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with the reserved vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty percent reservation on total number of vacancies of that year. In other words, the ceiling of fifty percent on filling up of reserved vacancies would apply on the reserved vacancies which arise in the current year and the backlog/carried forward reserved vacancies for Scheduled Castes or Scheduled Tribes of earlier year or years would be treated as a separate and distinct group and would not be subject to ceiling of fifty percent :

Provided that the appointing authority shall convene a special meeting of Departmental Promotion Committee/Screening Committee within six months to fill up backlog vacancies and if such vacancies still remain unfilled, they shall not be de-reserved in any manner for filling up by the public servants not belonging to the category for whom the post or posts are reserved.

(17) When a public servant, whose name is included in the select list, wants to refuse promotion, he may make a written request that he may not be promoted. Such request shall be considered by the Appointing Authority taking relevant aspects into consideration. If the reasons adduced for refusal of promotion are acceptable to the Appointing Authority, the next public servant in the select list may be promoted. However, since it may not be administratively possible or desirable to offer appointment to the public servants who initially refused promotion, on every occasion on which a vacancy arises during the period of validity of the panel, no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later. On the eventual promotion to the higher cadre/part of the service/pay scale of post, such public servant shall lose seniority vis-a-vis his juniors promoted in the preceding year to the higher cadre/part of the service/pay scale of post :

In cases where the reasons adduced by the public servant for his refusal for promotion are not acceptable to the Appointing Authority then he shall enforce the promotion on the public servant and in case the public servant still refuses to be promoted, then even disciplinary action may be taken against him for refusing to obey his order.

8. **Lowering the standards of evaluation:**—The Government, may by order, make provisions in favour of the public servants of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for lowering the standards of evaluation in the matter of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the State.

9. **Roster:**—(i) There shall be maintained rosters invariably by every appointing authority

in the prescribed forms as shown in Schedule-I for backlog vacancies of Scheduled Castes category and in schedule-II for the backlog vacancies of Scheduled Tribes category and in Schedule-III of the existing vacancies of the relevant year appended to these rules in respect of cadre/part of the service/pay scale of post to be filled up by promotion. The rosters shall be maintained separately for each such cadre/part of the service/pay scale of post.

(ii) Before making any promotion, the appointing authority shall ascertain invariably from the roster whether the vacancy is reserved or unreserved and if is reserved, for whom it is so reserved. Immediately after a promotion, the particulars thereof shall be entered in the roster and signed by the appointing authority.

(iii) The roster is a running account from year to year and shall be maintained accordingly. If promotion in a particular year stops at a particular point of cycle, say, at the 5th point, promotion in the subsequent year shall begin at the next point, that is, at the 6th point.

10. **Certification by the Appointing Authority:**—Every appointing authority shall endorse on the promotion order to be used by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

11. **Representation in Promotion/Screening Committee:**—If the nominated members other than the member presiding the promotion/secreening Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/screening committee and the number of members of promotion/ screening committee shall be extended to that limit.

12. **Consultation with the Commission:**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution.

13. **Power to remove the difficulties relating to interpretation:**—If any difficulty arises relating to the enforcement of these rules, it shall be referred to the State Government in the General Administration Department whose decision thereon shall be final.

14. **Repeal and Saving:**—The Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997, the Madhya Pradesh Civil Services (Determination of the Basis for Promotion) Rules, 1998 and all other rules and instructions corresponding to these Rules enforce immediately before the commencement of these Rules and which applies to such public servants to whom these Rules shall apply are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the Rules and instructions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

15. **Amendment in the Recruitment Rules:**—All rules regulating the recruitment to the State Public Services and the posts shall be deemed to have amended to the extent as provided in these rules.

SCHEDULE—I

(*See* Rule 9)

ROSTER FOR BACKLOG VACANCIES OF THE SCHEDULED CASTES

(1) Name of the Office :— . . . .

(2) Name of the cadre/part of the Service/pay scale of post :— . . . .

Year	Total number of backlog vacancies of the year	Number of the Roster points which could not be filled	Names of public servants belonging to Scheduled Castes promoted against backlog vacancies	Number and date of promotion order	Date of joining	Initial of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE—II

(*See* Rule 9)

ROSTER FOR BACKLOG VACANCIES OF THE SCHEDULED TRIBES

(1) Name of the Office :— . . . .

(2) Name of the cadre/part of the Service/pay scale of post :— . . . .

Year	Total number of backlog vacancies of the year	Number of the Roster points which could not be filled	Names of public servants belonging to Scheduled Tribes promoted against backlog vacancies	Number and date of promotion order	Date of joining	Initial of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE—III

(*See* Rule 9)

MODEL ROSTER FOR THE POSTS TO BE FILLED BY PROMOTION

For class I and class II, class III and class IV cadres/posts

Name of the Office :— . . . .

Name of the cadre/part of the Service/pay scale of post :—. . . . .

RESERVATION

Scheduled Caste : 16 percent
Scheduled Tribe : 20 percent

Roster Point	Unreserved/ Reserved	Year of carry forward or to be filled up	Name of Govt. Servant by whom the post is filled up and caste	Whether he is of reserved category	No. & date of order	Signature of appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Unreserved						
2.	Unreserved						
3.	Scheduled Tribe						
4.	Unreserved						
5.	Unreserved						
6.	Scheduled Caste						
7.	Unreserved						
8.	Unreserved						
9.	Scheduled Tribe						
10.	Unreserved						
11.	Unreserved						
12.	Scheduled Caste						
13.	Unreserved						
14.	Scheduled Tribe						
15.	Unreserved						
16.	Unreserved						
17.	Scheduled Caste						
18.	Unreserved						
19.	Unreserved						
20.	Scheduled Tribe						
21.	Unreserved						
22.	Unreserved						
23.	Scheduled Caste						
24.	Unreserved						
25.	Scheduled Tribe						
26.	Unreserved						

Roster Point	Unreserved/ Reserved	Year of carry forward or to be filled up	Name of Govt. Servant by whom the post is filled up and caste	Whether he is of reserved category	No. & date of order	Signature of appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27.	Unreserved						
28.	Scheduled Tribe						
29.	Unreserved						
30.	Unreserved						
31.	Scheduled Caste						
32.	Unreserved						
33.	Unreserved						
34.	Scheduled Tribe						
35.	Unreserved						
36.	Unreserved						
37.	Scheduled Caste						
38.	Unreserved						
39.	Scheduled Tribe						
40.	Unreserved						
41.	Unreserved						
42.	Scheduled Caste						
43.	Unreserved						
44.	Unreserved						
45.	Scheduled Tribe						
46.	Unreserved						
47.	Unreserved						
48.	Scheduled Caste						
49.	Unreserved						
50.	Scheduled Tribe						
51.	Unreserved						
52.	Unreserved						
53.	Scheduled Tribe						
54.	Unreserved						
55.	Unreserved						
56.	Scheduled Caste						
57.	Unreserved						
58.	Unreserved						
59.	Scheduled Tribe						
60.	Unreserved						
61.	Unreserved						
62.	Scheduled Caste						
63.	Unreserved						
64.	Scheduled Tribe						
65.	Unreserved						
66.	Unreserved						
67.	Scheduled Caste						

Roster Point	Unreserved/ Reserved	Year of carry forward or to be filled up	Name of Govt. Servant by whom the post is filled up and caste	Whether he is of reserved category	No. & date of order	Signature of appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68.	Unreserved						
69.	Unreserved						
70.	Scheduled Tribe						
71.	Unreserved						
72.	Unreserved						
73.	Scheduled Caste						
74.	Unreserved						
75.	Scheduled Tribe						
76.	Unreserved						
77.	Unreserved						
78.	Scheduled Tribe						
79.	Unreserved						
80.	Unreserved						
81.	Scheduled Caste						
82.	Unreserved						
83.	Unreserved						
84.	Scheduled Tribe						
85.	Unreserved						
86.	Unreserved						
87.	Scheduled Caste						
88.	Unreserved						
89.	Scheduled Tribe						
90.	Unreserved						
91.	Unreserved						
92.	Scheduled Caste						
93.	Unreserved						
94.	Unreserved						
95.	Scheduled Tribe						
96.	Unreserved						
97.	Unreserved						
98.	Scheduled Caste						
99.	Unreserved						
100.	Scheduled Tribe						

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-5/2002/3/1 भोपाल, दिनांक 6 जून, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय :- आरक्षण नियमों/निर्देशों/रोस्टर के आधार पर पदोन्नत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों की वरिष्ठता ।

सन्दर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-2/95/3/एक, दिनांक 7 अगस्त, 1995

-x-x-x-x-x-

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 7 अगस्त, 1995 के द्वारा शासकीय सेवाओं/पदों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को आरक्षण का लाभ देने आदि के विषय में नीति-निर्देश जारी किये गये थे ।

2/ उपरोक्त निर्देशों में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था :-

(एक) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों के लिए आरक्षित पदों पर तथा सामान्य श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिए उपलब्ध पदों के बराबर की संख्या के लिए पृथक-पृथक उपयुक्तता सूचियां/प्रवर सूचियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय सेवकों के लिए तैयार की जाएगी ।

....निरंतर....

(दो) उक्त तीन वर्गों के शासकीय सेवकों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समेकित उपयुक्तता सूची/प्रवर सूची तैयार की जावेगी जिसमें तीनों सूचियों में शामिल शासकीय सेवकों के नाम उस क्रमानुसार रखे जावेंगें। जिस क्रम में उनके नाम उस वरिष्ठता सूची में अंकित है, जिससे उनकी पदोन्नति की जा रही हो। योग्यता-सह-वरिष्ठता के मापदंड के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में यदि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी शासकीय सेवक को उसकी योग्यता के आधार पर प्रवर सूची में उच्चतर स्थान दिया गया हो तो उसका नाम ऐसे उच्च स्थान पर रखा जायेगा।

(तीन) समेकित उपयुक्तता सूची के आधार पर पदोन्नत शासकीय सेवकों के नाम एक साथ (enblock) उसके पूर्ववर्ती वर्ष की समेकित प्रवर सूची के आधार पर पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों के नीचे रखे जायेंगें।

3/ उक्त क्रम में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 में भी उपरोक्त कंडिका 2(तीन) का प्रावधान नियम 4(8) के स्पष्टीकरण एवं नियम 5(9) के स्पष्टीकरण में रखा गया था। मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, खंडपीठ भोपाल ने याचिका ओ०ए०क्रमांक 606/1997 - रमाकांत मिश्रा एवं अन्य विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य तथा 3 अन्य याचिकाओं में दिनांक 17.7.2000 को पारित आदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अजीत सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य 1999 (11) एम०पी०एल०एस०आर० 273 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त नियमों को निरस्त कर दिया था।

4/ भारत सरकार ने संविधान (पच्चासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4-ए) को दिनांक 17 जून, 1995 से इस दृष्टि से संशोधित कर दिया है कि आरक्षण नियमों के आधार पर पदोन्नति के प्रकरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को वरिष्ठता प्रतिधारण (retain) करने के लिए अनुमत किया जावे। दूसरे शब्दों में, सामान्य/अन्य

..निरंतर...

पिछड़ा वर्ग के बाद में पदोन्नत होने वाले शासकीय सेवक,आरक्षण नियमों के आधार पर पूर्व में पदोन्नत हो चुके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों से, कनिष्ठ रहेंगें ।

5/ संविधान (पच्चासीवाँ संशोधन) अधिनियम,2001 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने पदोन्नति नियम/रोस्टर के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों की वरिष्ठता के विषय में नये निर्देश अपने ज्ञाप क्रमांक 20011/1/2001-स्था.(डी) दिनांक 21 जनवरी,2002 द्वारा प्रसारित किये है जिन्हें 17 जून,1995 से लागू किया गया है ।

6/ अतः संविधान (पच्चासीवाँ संशोधन) अधिनियम,2001 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(I) (क) आरक्षण नियम/निर्देशों के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential seniority) के भी पात्र होगें,एवं

(ख) उक्त निर्णय दिनांक 17 जून,1995 से प्रभावी होगा ।

(II) यदि किसी विभाग/स्थापना में दिनांक 17 जून,1995 एवं इसके बाद हुई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के पदोन्नत शासकीय सेवक को वरिष्ठता का लाभ उपरोक्त निर्णय के अनुसार नहीं दिया गया तो ऐसे प्रकरणों का पुनरीक्षण दो माह के अन्दर किया जावे ।

(III) (क) उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित की गई वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित शासकीय सेवकों को अन्य पारिणामिक लाभ (Consequential benefits) यथा पदोन्नति वेतन,पेंशन आदि भी देय होगें परन्तु "कार्य-नही-वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर अवशेष राशि (arrears) देय नहीं होगी ।

(ख) इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों के को उनके ठीक कनिष्ठ सामान्य [illegible]

..निरंतर..

वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति देने के लिए रिव्यू डी0पी0सी0 आयोजित की जावे और योग्य पाये जाने पर पदोन्नति/वरिष्ठता दी जावे । यह कार्यवाही 6 माह के अन्दर की जावेगी ।

§IV§ वरिष्ठता के अलावा, सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवकों को किन्हीं न्यायालयीन आदेशों के तहत् या अन्यथा अन्य पारिणामिक लाभ यथा पदोन्नति, वेतन आदि §पूर्व में सेवा निवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति लाभ सहित§ प्रदान कर दिया गया है तो इसे उनका व्यक्तिगत मानकर संरक्षित किया जावेगा ।

7/ सभी विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि उपरोक्त निर्णयों का निर्धारित की गई समय-सीमा में पालन करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

§ एम0के0वर्मा §
अतिरिक्त सचिव
म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-5/2002/3/1 भोपाल, दिनांक 6 जून, 2002

प्रतिलिपि:-

1- रजिस्ट्रार, जनरल उच्च न्यायालय, जबलपुर म0प्र0 जबलपुर ।

2- सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल ।

3- सचिव, लोकसेवा आयोग, म0प्र0 इंदौर ।

4- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल 2.

5- राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।

6- सचिव, विधानसभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।

7- सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।

8- उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म0प्र0 भोपाल ।

9- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म०प्र० भोपाल ।

10- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म०प्र० भोपाल ।

11- अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म०प्र० भोपाल ।

12- रजिस्ट्रार, म०प्र० राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।

13- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म०प्र० उच्च न्यायालय, खंडपीठ, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।

14- महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर/भोपाल ।

15- प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

16- अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म०प्र० मंत्रालय ।

17- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।

18- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल ।

19- अध्यक्ष, म०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।

20- अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

तत्काल
महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7 /2002/3/एक भोपाल, दिनांक 12जून, 2002.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय:- लोक सेवा एवं पदों पर पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 का प्रकाशन।

:=:

लोक सेवा एवं पदों पर पदोन्नति के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति के आधार का निर्धारण) नियम, 1998 तथा इन नियमों के तहत समय समय पर जारी निर्देश प्रभावशील थे।

2- मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ भोपाल ने याचिका ओ. ए. क्रमांक 606/1997 तथा अन्य 3 याचिकाओं में दिनांक 17.7.2000 को पारित आदेशों के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के कुछ प्रावधानों और प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये लागू 100 बिन्दु रोस्टर को निरस्त कर दिया था। इन आदेशों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की हैं जो न्यायालय के विचाराधीन हैं।

3- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-29/2000/3/एक दिनांक 8.12.2000 द्वारा ये निर्देश

निरंतर ..2 पर

प्रसारित किये थे कि उच्च न्यायालय में दायर की गई उपरोक्त याचिकाओं में निर्णय होने तक पदोन्नति संबंधी समस्त कार्रवाई स्थगित रखी जावे । केवल प्रथम से प्रथम श्रेणी के पदों, जिनमें आरक्षण लागू नहीं होता, पर पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है ।

4- इस बीच, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को पदोन्नति के मामलों में कुछ सुविधायें देने के विषय में संविधान में इक्यासिवां, बयासिवां एवं पच्चासिवां संशोधन किया है । इस परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने उपरोक्त पदोन्नति नियम, 1997 एवं 1998 को निरसित कर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-18/2001/3/एक, दिनांक 11.6.2002 द्वारा नये मध्यप्रदेश लोक सेवा §पदोन्नति§ नियम, 2002 बनाये हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश राजपत्र §असाधारण§ में दिनांक 11.6.2002 को अधिसूचित कर दिया गया है ।

5- लोक सेवाओं और पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई पिछले 2 वर्षों से स्थगित थी । अतः अब इन नियमों के तहत् पदोन्नति की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जावे ।

6- इन पदोन्नतियों के कारण लोक सेवकों के वर्तमान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापना की स्थिति भी बनेगी । निकट भविष्य में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जावेगी तथा नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से लोक सेवकों को अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करवाना होगा । अतः सभी विभागों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि पदोन्नति की समस्त कार्रवाई पूर्ण की जाकर पदोन्नति आदेश/पदस्थापना निश्चित रूप से 15 जुलाई, 2002 तक जारी कर दिये जावें । लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में भी यही निर्देश लागू होंगे ।

7- पदोन्नति के प्रस्ताव तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि:-

§1§ छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित हो गये पदों तथा मितव्ययिता उपायों के तहत् आगामी 5 वर्षों में 30%

निरंतर.... 3 पेज पर

अमले में कमी की योजना के अंतर्गत समाप्त हुए/समाप्त किये जा रहे रिक्त पदों एवं सुपरन्यूमरी पदों को पदोन्नति के प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया जावे।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के बेकलॉग के पदों तथा आरक्षण रोस्टर के अनुसार अन्य आरक्षित पदों को किसी भी स्थिति में अन्य प्रवर्ग की पदोन्नति से नहीं भरा जावे।

8- कृपया पदोन्नति के मामलों में आरक्षण अधिनियम, 1994 मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 एवं उपरोक्त निर्देशों का समुचित पालन करते हुए पदोन्नति की कार्यवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कर पदोन्नति आदेश 15 जुलाई, 2002 तक प्रसारित कर दिये जायें।

9- कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करावें।

(हस्ताक्षर) 6/02

(..........)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक सी. 3-7 /2002/3/एक भोपाल, दिनांक 12 जून, 2002.

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र., इन्दौर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, म.प्र.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

9– रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

10. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.

12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल.

13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल.

15, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष 7§1§, 7§2§ एवं कक्ष 7§3§, मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल.

16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय.

17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल.

18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.

19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

12/6/02

§एम0के0वर्मा§
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

:: गौतम ::

<u>महत्वपूर्ण परिपत्र</u>

तत्काल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक सी-3-7/2002/3/एक भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत पदोन्नतियाँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बैकलाग का निर्धारण एवं पूर्ति तथा रोस्टर का संधारण ।

संदर्भ :- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-18/2001/3/एक दिनांक 11-6-2002 तथा ज्ञाप समसंख्यक दिनांक 12-6-2002.

-----------0-----------

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 11-6-2002 द्वारा जारी कर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-6-2002 में प्रकाशित किये है। साथ ही, उपरोक्त नियमों के तहत पदोन्नति की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर कर, पदोन्नति आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2002 तक जारी करने के निर्देश इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12-6-2002 द्वारा प्रसारित किये गये है ।

2- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :-

(1)आरक्षण- सभी श्रेणियों के पदों/सेवाओं में (जिसमें प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद/सेवाएं भी सम्मिलित हैं) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है । नियम-५

(2) **पदोन्नति का आधार**- 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' के आधाार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में सभी प्रवर्गों के लिये कोई विचारण क्षेत्र नहीं रखा गया है । 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में सामान्य विचारण क्षेत्र रिक्तियों का दुगना+ 4 रखा गया है । साथ ही, सामान्य विचारण क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित संख्या में लोक सेवक उपलब्ध नहीं होने पर इन प्रवर्गों के लिये विस्तारित विचारण क्षेत्र रिक्तियों का 7 गुना रखा गया है । उपरोक्त दोनों प्रावधान नियम-६(१) एवं नियम-७(१) ७(२)

संविधान के 82वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में जोड़े गये परन्तुक द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये मूल्यांकन के मानकों को **कम करने संबंधी राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रवर्गों के लोक सेवकों को लोक सेवाओं एवं पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से किये गये है।**

(3)**पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु गणना की रीति**- संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/ सेवा के भाग/ पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/ सेवा के भाग/ पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी । उदाहरणार्थ, लोक सेवक की पदोन्नति जनवरी में हुई हो, जुलाई में अथवा दिसम्बर में, अर्हकारी सेवा की गणना के लिये उस कैलेण्डर वर्ष को एक वर्ष माना जायेगा । **स्पष्टीकरण नियम-६(२) एवं नियम-७(३)**

(4) **गोपनीय प्रतिवेदनों की उपलब्धता** - जब किसी लोक सेवक के विचाराधीन अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय पदोन्नति समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी । नियम-६(६) एवं नियम-७(७)

(5) **अप्रत्याशित रिक्तियों के लिये व्यवस्था** - अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये दो लोक सेवकों के अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम भी यथाविहित प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे । नियम-६(८) एवं नियम-७(१०)

(6) **वरिष्ठता का निर्धारण** - संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक इसके पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ (एनब्लाक) रखे जायेंगे । अर्थात् आरक्षण प्रावधानों के तहत पदोन्नत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लोक सेवकों को पदोन्नति पद पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ भी प्राप्त होगा (संविधान का 85वाँ संशोधन)। **नियम-६(१२) एवं नियम-७(१३)**

(7) **पद जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है, उसी प्रवर्ग से भरे जायेगे अन्य प्रवर्ग से नहीं**- जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित है, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसे पद तब तक अग्रणित किये जायेंगे, अर्थात् रिक्त रखे जायेंगे, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जायेगा। नियम-६(१३) एवं नियम-७(१५)

(8)**बैकलॉग के पद एक अलग सुभिन्न समूह के रूप में माने जायेंगे तथा उन पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी** - संविधान के 81वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 नियम-६(१४) एवं नियम-७(१६)

(4-ख) में किये गये प्रावधान के अनुसार, जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित रिक्तियाँ बिना भरी रह गई हों, तब बैकलाग और/ या अग्रणित रिक्तियां, पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नही मानी जाएंगी, जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही है । दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षो की बैकलॉग/अग्रणित आरक्षित रिक्तियाँ पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, बैकलाग की रिक्तियाँ भरने के लिये छह मास के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा ।

(9)प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर चयन की प्रकिया :-

(i) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पद पर पदोन्नति का मापदण्ड 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' है तथा बैचमार्क ग्रेड ''बहुत अच्छा'' निर्धारित है । यह बेंचमार्क ग्रेड विचाराधीन अवधि के समग्र मूल्यांकन (Over all grading) के आधार पर निर्धारित किया जावेगा । नियम-७(८) २(ग)

(ii) उपरोक्त उद्देश्य के लिये लोक सेवकों के विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के वर्गीकरण को अंकों में व्यक्त किया जावे । इसके लिये 'उत्कृष्ट' श्रेणी हेतु 4 अंक, 'बहुत अच्छा' श्रेणी हेतु 3 अंक, 'अच्छा' श्रेणी के लिये 2 अंक, 'औसत' श्रेणी के लिये 1 अंक तथा 'घटिया' श्रेणी के लिये शून्य अंक निर्धारित किये जावें । जिन लोक सेवकों का विचाराधीन 5 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 15 से 19 अंक आता है उनका विचाराधीन अवधि का समग्र मूल्यांकन ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा। जिन लोक सेवकों के विचाराधीन 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 20 अंक होता है उन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा।

(iii) जिन लोक सेवकों को ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा उन्हें चयन सूची में सबसे ऊपर रखा जावेगा । यदि एक से अधिक लोक सेवक 'उत्कृष्ट' श्रेणी में वर्गीकृत किये गये है तो उन्हें उनकी फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान की पारस्परिक वरिष्ठता बनाये रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात् रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर ''बहुत अच्छा'' श्रेणी वाले लोक सेवकों को उनकी फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) उदाहरणार्थ किसी संवर्ग में 3 अनारक्षित रिक्तियों के लिये चयन सूची बनानी है और विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों का वरिष्ठता कमांक एवं विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का योग निम्नानुसार है :-

फीडर संवर्ग में वरिष्ठता कमांक	लोक सेवक का नाम	विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन का योग
10	क	15
11	ख	14
12	ग	13
13	घ	16
14	ड.	17
15	च	18
16	छ	20
17	ज	16
18	झ	20
19	य	18

उपलब्ध 3 रिक्तियों के लिये चयन सूची निम्नानुसार बनायी जावेगी :-

चयन सूची में सरल कमांक	लोक सेवक का नाम	प्राप्तांक	फीडर संवर्ग में वरिष्ठता कमांक	
1	छ	20	16	
2	झ	20	18	
3	क	15	10	
4	घ	16	13	अप्रत्याशित रिक्तियों के लिये दो व्यक्ति
5	ड.	17	14	

(v) जिन संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वहाँ अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के आधार पर उक्तानुसार अंकों की गणना की जाएगी ।

(vi) विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर अंकों का निर्धारण ''स्वीकृतकर्ता अधिकारी'' द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। यदि समिति गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह इसके लिये अपने कारण लिपिबद्ध करते हुए मूल्यांकन करेगी परन्तु समिति स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त अंक में केवल 'एक' अंक बढ़ा सकेगी अथवा घटा सकेगी । उदाहरणार्थ किसी लोक सेवक के वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी

तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन "अच्छा" श्रेणी का किया गया है परन्तु स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने मूल्यांकन "उत्कृष्ट" श्रेणी किया है जिसमें संबंधित लोक सेवक को 4 अंक प्राप्त होने चाहिये। पदोन्नति/छानबीन समिति उसके द्वारा लिपिबद्ध किये गये कारणों से स्वीकृतकर्ता अधिकारी के उपरोक्त मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह उक्त 4 अंकों में केवल 'एक' अंक तक ही कम कर सकेगी। इस स्थिति में संबंधित लोक सेवक का वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये पुर्नमूल्यांकन के आधार पर 3 अंक प्राप्त होंगे ।

(10) **मूल्यांकन के मानकों को कम करना** - संविधान के 82वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में जोड़े गये परन्तुक के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोक सेवकों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में मूल्यांकन के मानकों को कम करने के उपबंध करने की शक्तियाँ राज्य शासन को दी गई है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र में निर्धारित मानक वाले अपेक्षित अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते है तो पहले निर्धारित मानक पूरा करने वाले आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों के नाम चयन सूची में सम्मिलित किये जाएंगे । तत्पश्चात् शेष बची आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये, निर्धारित मानक ("बहुत अच्छा" न्यूनतम-15 अंक) में कमशः एक-एक अंक कम करते हुये न्यूनतम-10 अंक (अच्छा) तक मानक शिथिल किया जाएगा और उक्तानुसार शिथिल किये गये मानक को पूर्ण करने वाले उक्त प्रवर्ग के लोक सेवकों को उनकी फीडर संवर्ग की वरिष्ठतानुसार चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात् निर्धारित मानक "बहुत अच्छा" पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लोक सेवक अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर शेष बची आरक्षित रिक्तियों के लिये इन प्रवर्ग के लोक सेवकों हेतु मानक (बैंचमार्क ग्रेड) "अच्छा" श्रेणी तक शिथिल किया जाएगा । नियम-८

यदि उक्त शिथिलीकरण के बाद भी आरक्षित पद बिना भरे रह जाते है तो नियुक्ति प्राधिकारी डी0पी0सी0 की अनुशंसा अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। साथ ही, मानक के शिथिलीकरण के बाद भी आरक्षित पद नहीं भर पाने संबंधी जानकारी डी0पी0सी0 की प्रोसिडिंग की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) को विश्लेषण के लिये तत्काल भेजेंगे ।

(11) **रोस्टर** - प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सदैव, पदोन्नति से भरे जाने वाले संवर्ग/ सेवा के भाग/ पद के वेतनमान के संबंध में, पदोन्नति नियम, 2002 के साथ संलग्न अनुसूची-III में दर्शाये अनुसार विहित प्रारूप में रोस्टर संधारण करना विहित है। प्रत्येक ऐसे संवर्ग/ सेवा का भाग/ पद के वेतनमान के लिये पृथक-पृथक रोस्टर संधारित होगा। नियम-९(एक)

प्रत्येक पदोन्नति करने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी सदैव, रोस्टर से सुनिश्चित करेगा कि रिक्ति आरक्षित है अथवा अनारक्षित है और यदि आरक्षित है तो यह किसके लिये आरक्षित हैं । पदोन्नति के तत्काल पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोस्टर में उसकी विशिष्टियों की प्रविष्टि की जायेगी तथा हस्ताक्षर किये जाएंगे । नियम-९(दो)

रोस्टर वर्षानुवर्ष का एक चालू लेखा है तथा तद्नुसार संधारित होगा। यदि पदोन्नति किसी विशिष्ट वर्ष के चक्र में किसी विशिष्ट बिन्दु पर रूकती है, उदाहरणार्थ 5वें बिन्दु पर, तो पश्चात्वर्ती वर्ष में पदोन्नति अगले बिन्दु यथा 6वे बिन्दु से प्रारम्भ होगी । नियम-९(तीन)
यदि किसी संवर्ग/ सेवा के भाग/पद के वेतनमान में 100 से अधिक पद है तो रोस्टर को अनुसूची-III में दर्शित बिन्दु क्रमांक-1 के क्रम से (उदाहरणार्थ- 101,102,103........) निरन्तर रखते हुए संवर्ग/सेवा के भाग/वेतनमान के पद में स्वीकृत पदों की सीमा तक विस्तारित किया जायेगा।

(12)**नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण-** प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर नियम-10 के अनुसार प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा।

(13)**पदोन्नति/ छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व** - पदोन्नति/ छानबीन समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग का एक सदस्य होना अनिवार्य है । अतः यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/ छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते है, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/ छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/ छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी। नियम-११

3- राज्य शासन, उपरोक्त नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित पूरक निर्देश प्रसारित करता है :-

(1)**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पदों की संगणना :-** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पदों की संगणना किसी संवर्ग/ सेवा के भाग/ पद के वेतनमान में वर्तमान में स्वीकृत कुल पदों की संख्या (Cadre strength) पर अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति के लिये 20 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी । आरक्षित पदों के निर्धारण के लिये रिक्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। **उदाहरण के लिये** - यदि किसी संवर्ग में 100 पद स्वीकृत हैं । निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार इसमें से 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित होंगें। इसके विरूद्ध यदि वर्तमान में आरक्षण प्रावधानों का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत अनुसूचित जाति के 10 तथा अनुसूचित जन जाति के 8 लोक सेवक कार्यरत है तो उस स्थिति में अनुसूचित जाति प्रवर्ग का 6 तथा अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग का 12 का बैकलाग (Shortfall) होगा। जो लोक सेवक आरक्षण प्रावधानों का लाभ प्राप्त किये बिना स्वतः की वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर पदोन्नत हुऐ है उन्हें इस उद्देश्य के लिये आरक्षित श्रेणी में नहीं गिना जायेगा।

(2) **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बैकलाग की गणना :-**

(अ) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों में आरक्षण की व्यवस्था नियमों में पहली बार की गई है। अतः वर्तमान में इसमें कोई बैकलाग नही होगा । लेकिन पदोन्नति नियम, 2002 जारी

होने के दिनांक (11 जून, 2002) के पश्चात् इन पदों की रिक्तियों की पूर्ति निर्धारित आरक्षण का लाभ देते हुये पदोन्नति नियम, 2002 के संलग्न अनुसूची-III के रोस्टर के अनुसार की जायेगी । साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पूर्व वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के जो लोक सेवक पदोन्नत हो चुके है, उनकी गणना उस श्रेणी में अब आरक्षित किये जा रहे पदों के विरूद्ध नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोक सेवक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत नहीं हुये है । अर्थात् प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के किसी संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में वर्तमान में 100 रिक्तियाँ उपलब्ध है तो इनमें से 16 पद अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लोक सेवकों तथा 20 पद अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिए आरक्षित रहेंगे । यदि इनके विरूद्ध अनुसूचित जाति प्रवर्ग के 10 तथा अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के 15 लोक सेवक ही मानक में शिथिलीकरण के बाद भी पदोन्नति के लिये उपलब्ध होते है तो अनुसूचित जाति प्रवर्ग के शेष 6 पद तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के शेष 5 पद कैरीफारवर्ड किये जाएंगे ।

(ब) उपरोक्त के अलावा, शेष सभी संवर्गो/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के बैकलाग के पदों की संगणना करने के लिये, पृथक-पृथक संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के नाम पदोन्नति नियम, 2002 के अनुसूची -III में संलग्न रोस्टर में उनके लिये निर्धारित बिन्दुओं (अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) के सामने वरिष्ठतम लोक सेवक से प्रारम्भ करते हुये अंकित किये जांए । इसमें जो बिन्दु जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है उसके विरूद्ध यदि उस प्रवर्ग के लोक सेवक की किसी भी कारण से पदोन्नति नहीं हुई है/ कार्यरत नहीं है, तो उस बिन्दु को रिक्त दर्शाया जाए (जैसे-रोस्टर का बिन्दु कमांक-3 अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित है किन्तु किसी भी कारण से इस बिन्दु के विरूद्ध इस प्रवर्ग का लोक सेवक पदोन्नत नहीं हुआ है/कार्यरत नहीं है, तो इस बिन्दु को अनुसूचित जन जाति के लिये रिक्त दर्शाया जाय)। आरक्षित प्रवर्ग के जो लोक सेवक अपनी वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर चयनित/पदोन्नत हुये है, उनकी गणना आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं की जायेगी अर्थात् अनारक्षित प्रवर्ग के साथ चयनित/पदोन्नत आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे लोक सेवक निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त होंगे । यदि किसी संवर्ग में 100 से अधिक पद है तो 100 बिन्दु रोस्टर को उपरोक्त कंडिका 2 (II) में दर्शाये अनुसार विस्तारित किया जायेगा, जब तक समस्त कार्यरत लोक सेवकों के नाम अंकित नहीं हो जाते । इस प्रकार कुल कार्यरत लोक सेवकों के नाम रोस्टर में अंकित हो जाने के बाद जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बिन्दु रिक्त दर्शाये गये है, वह उस प्रवर्ग के बैकलाग(Shortfall) के पद होंगे । अर्थात् संवर्ग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के नाम पदोन्नति नियम, 2002 के संलग्न अनुसूची-III में संबंधित प्रवर्ग के रोस्टर बिन्दु के समक्ष प्रविष्टित किया जावेगा । रोस्टर के जो आरक्षित बिन्दु रिक्त रह जायेंगे वह संबंधित आरक्षित प्रवर्ग का बैकलाग होगा। यह बैकलॉग तथा उसकी पूर्ति की स्थिति पदोन्नति नियम, 2002 के साथ संलग्न अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में भी दर्शायी जायेगी ।

उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रवर्ग के लोक सेवक के नाम का कम प्रभावित होता है तो उससे उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि यह प्रक्रिया सिर्फ बैकलाग निर्धारित करने के लिये है और यह वरिष्ठता सूची नहीं है ।

(3) **विभागीय पदोन्नति/ छानबीन समिति का आयोजन** -(अ) **नये पदोन्नति नियम दिनांक 11 जून, 2002 से प्रभावशील हुये है । अतः इन नियमों के तहत प्रथम डी.पी.सी. वर्तमान में उपलब्ध (31 दिसम्बर, 2001 तक की रिक्तियाँ) तथा इस वर्ष की विद्यमान तथा प्रत्याशित समस्त रिक्तियों के आधार पर आयोजित की जावे ।**

(ब) इसके बाद इन नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिवर्ष की रिक्तियों के लिये चयन सूचियाँ पृथक-पृथक बनाई जावेंगी । नियुक्ति प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में विभागीय पदोन्नति/ छानबीन समितियों का आयोजन उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिवर्ष हो । साथ ही, बैकलॉग की रिक्तियों की पूर्ति के लिये मुख्य डी.पी.सी. के बाद विभागीय पदोन्नति/ छानबीन समिति की विशेष बैठक का आयोजन 6 मास के अंदर किया जावे ।

(4) **चयन सूची की वैधता अवधि** :- चयन सूची की वैधता अवधि संबंधित संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान के लिये लागू विभागीय भरती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

(5) **बैकलाग के पदों की पूर्ति** :- बैकलाग के पदों की पूर्ति के लिये रिक्तियों को दो भागों में बाँटा जाय। प्रथम भाग में पूर्व वर्षों की अर्थात् 31 दिसम्बर, 2001 तक की रिक्तियाँ होगी। इन रिक्तियों से सर्वप्रथम उपरोक्त उप कंडिका-(2) में अवधारित किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के बैकलाग के पदों की पूर्ति की जावेगी और इनकी प्रविष्टि नियमों के संलग्न अनुसूची-III में संबंधित प्रवर्ग के रिक्त बिन्दुओं के समक्ष की जावेगी । बैकलाग की पूर्ति के लिये इन पूर्व वर्षों की रिक्तियों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी । तत्पश्चात् इस वर्ष की विद्यमान तथा प्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति नियमों के संलग्न अनुसूची-III में दर्शाये गये रोस्टर के बिन्दुओं के अनुसार अंकित अंतिम बिन्दु के आगे के बिन्दुओं के आधार पर की जावेगी।

(6) यदि किसी संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में यह स्थिति बनती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों के अनुपात में विद्यमान रिक्तियों की संख्या कम है तो विद्यमान रिक्तियों से बैकलाग के पदों की पूर्ति करते हुए शेष बचे बैकलाग के पदों की जानकारी देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी तद्विषयक जानकारी प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) को भेजेंगे।

(7) **एकाकी पद में आरक्षण** -(i) एकाकी पद वह होगा जो किसी संवर्ग/सेवा/श्रेणी में विशिष्ट वेतनमान या ग्रेड में केवल एक पद है, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो। ऐसे एकाकी पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी संवर्ग/सेवा का भाग/श्रेणी के वेतनमान के पद में एक से अधिक पद स्वीकृत है और नियुक्ति/ पदोन्नति हेतु किसी वर्ष केवल एक पद ही उपलब्ध है तो वह एकाकी पद की परिभाषा में नहीं आयेगा क्योंकि उस संवर्ग में और भी पद पिछले वर्षो में रिक्त हुये है तथा अगले वर्षों में रिक्त होंगे ।

(ii) यदि किसी राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय संवर्ग/सेवा के भाग/ग्रेड एवं पद के वेतनमान में एक से अधिक पद स्वीकृत है और अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं/स्थापनाओं के लिये

प्रत्येक कार्यालय/संस्था/स्थापना में एक-एक पद के मान से पद आवंटित किये गये है तो यह एकाकी पद की श्रेणी में नहीं आयेंगे । उदाहरणार्थ – यदि उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) का संवर्ग राज्य स्तरीय है, जो सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) की पदोन्नति से भरा जाता है । प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) संवर्ग में राज्य स्तर पर 20 पद स्वीकृत है और प्रत्येक महाविद्यालय को एक-एक पद आवंटित किया गया है । अतः उक्त प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) का पद एकाकी पद की श्रेणी में नहीं आयेगा क्योंकि राज्य स्तरीय संवर्ग में कुल 20 पद स्वीकृत है ।

(iii) यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह धारणा सही नहीं है कि एकाकी पदों पर आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति नही की जा सकती । एकाकी पदों पर आरक्षण लागू न करने का तात्पर्य यह है कि वह पद खुली प्रतियोगिता का है और समानता के आधार पर सभी प्रवर्ग के लोक सेवक उसके दावेदार है। यदि योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवक एकाकी पदों के लिये चयनित होते है तो उन्हें सिर्फ इसलिये नियुक्ति/पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह एकाकी पद अनारक्षित है। यदि आरक्षित प्रवर्ग का शासकीय सेवक 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' के मापदण्ड के अनुसार की जाने वाली पदोन्नतियों में फीडर केडर में वरिष्ठ होने के कारण पदोन्नति की पात्रता रखता है तो उसे उक्त एकाकी पद पर पदोन्नत किया जावेगा । इसी प्रकार 'योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाने पदोन्नतियों में आरक्षित प्रवर्ग का कोई लोक सेवक मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो उसे एकाकी पद पर पदोन्नत किया जावेगा क्योंकि आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवक को यह पदोन्नति आरक्षण प्रावधानों का लाभ देकर नही दी जा रही है ।

(8) **आदर्श स्थिति आ जाने पर पदोन्नति** -(अ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार जिन संवर्गों में **आदर्श स्थिति** आ गई है या भविष्य में आ जाती है अर्थात निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार उस संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जितने लोक सेवक होने चाहिये उतने कार्यरत है तो फिर ऐसे संवर्ग में आरक्षण प्रावधान तथा रोस्टर को लागू करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । भविष्य में ऐसे संवर्ग में सेवानिवृति आदि से जो पद जिस प्रवर्ग से रिक्त होंगे वे उसी प्रवर्ग के शासकीय सेवक से भरे जावेंगे।

(ब) आदर्श स्थिति आ जाने के बाद यदि आरक्षित प्रवर्ग का कोई लोक सेवक अपनी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति की पात्रता रखता है तो उसे अनारक्षित रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित नहीं करते हुये पदोन्नत किया जावेगा परन्तु, भविष्य के समायोजन में ऐसे लोक सेवक को संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के विरूद्ध दर्शाया जावेगा । किन्तु 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में यदि आरक्षित प्रवर्ग का कोई लोक सेवक आरक्षण का लाभ प्राप्त किये बिना, मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित प्रवर्ग के विरूद्ध नहीं दर्शाया जावेगा ।

4- कृपया पदोन्नतियाँ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 तथा उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए की जावें । यह सुनिश्चित किया जावे कि पदोन्नति आदेश 15-7-2002 तक प्रसारित कर दिये जावें ।

5- इस विभाग का ज्ञाप कमांक सी-3-5/99/3/एक, दिनांक 24 फरवरी, 2000 तथा इन विषयों में जारी अन्य समस्त पूर्व निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

6/7/02
(एम0के0वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक सी-3-7/2002/3/एक भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2002

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल.
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म0प्र0, इन्दौर.
7. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, म0प्र0.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म0प्र0, भोपाल

16. उप सचिव, मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1), 7(2) एवं कक्ष 7(3), मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल.
17. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय.
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
19. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों

की ओर सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम0के0 वर्मा)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शाकेमुभो—6 48 -असप्राप्रवि—8-7-2002—1000.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय

क्रमांक सी-3-18/2001/3/एक

भोपाल, दिनांक 4 मार्च, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:—मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत् पदोन्नतियां ऐसे संवर्ग, जिनमें कुल पदों की संख्या 2 से 5 तक है, के लिए मॉडल रोस्टर।

सन्दर्भ:—इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी-3-7/2002/3/एक/एक, दिनांक 6 जुलाई, 2002।

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 दिनांक 11 जून, 2002 से प्रवृत्त किये थे तथा इन नियमों की अनुसूची-III में नया 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर लागू किया था।

2. पदोन्नति के मामलों में सभी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया। तद्नुसार, मॉडल रोस्टर का बिन्दु क्रमांक 3, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये तथा बिन्दु क्रमांक 6, अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये चिन्हांकित है।

3. राज्य शासन के अधीनस्थ कुछ ऐसे संवर्ग हैं, जिनमें कुल 2 से 5 पद तक ही स्वीकृत हैं। जिन संवर्गों में कुल 2 पद स्वीकृत हैं, उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति पाने का अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसे संवर्ग, जिनमें कुल 3 से 5 पद स्वीकृत हैं, में अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लोक सेवकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति पाने का अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा।

4. उपरोक्त समस्त स्थिति के परीक्षणोपरांत राज्य शासन ने, भारत सरकार की तरह, छोटे संवर्गों के लिये पृथक् रोस्टर लागू करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार ऐसे संवर्ग, जिनमें 2 से 5 पद स्वीकृत हैं, के लिये संलग्न "परिशिष्ट-एक" में दर्शाए अनुसार 5 बिन्दु रोस्टर संधारित किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार पदों को भरने की प्रक्रिया संलग्न "परिशिष्ट-दो" में दर्शाये अनुसार रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

5/3/03

(एम. के. वर्मा),
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

पृ. क्र. सी-3-18/2001/3/एक

सामान्य प्रशासन विभाग,
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2003

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
16. उपसचिव/अवर सचिव, स्थापना, अधीक्षण, अभिलेख, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उपसचिव, मंत्रालय, भोपाल।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मच

(आर० एस० रघुवंशी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पदोन्नति के मामलों में ऐसे संवर्गों, जिनमें कुल पदों की संख्या 2 से 5 तक है, के लिये मॉडल रोस्टर

संवर्गों में पदों की संख्या (Cadre strength)	पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial recruitment by promotion)	प्रतिस्थापन क्रमांक (Replacement Number)				
		पहला 1st	दूसरा 2nd	तीसरा 3rd	चौथा 4th	पांचवा 5th
1	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	
3	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति		
4	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति			
5	अनारक्षित	अनुसूचित जाति				

टीप:— 1. ऐसे संवर्गों, जिनमे पदों की संख्या 2 से 5 है, उक्त मॉडल रोस्टर की, संवर्ग में पदों की संख्या के कॉलम के नीचे दर्शाई प्रविष्टि क्रमांक 1 से पढ़कर अंतिम पद तक और इसके पश्चात् क्षैतिज स्थिति में (Horizontally) क्षैतिज पंक्ति ((Horizontal row) की अंतिम प्रविष्टि तक "L" के समान पढ़ा जायेगा।

2. संवर्ग के सभी पदों को, पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial promotion) के कॉलम में दर्शाये गये प्रवर्गों (Categories) के लिये चिन्हित (earmarked) किया जाना है। ऐसे चिन्हित पदों की प्रारंभिक पूर्ति, होने के बाद, रिक्त होने पर उसका प्रतिस्थापन (replacement) चिन्हित पद के समक्ष चक्रानुक्रम (rotation) से, क्षैतिज स्थिति में (Horizontal) संवर्ग के अंतिम पद के विरुद्ध किया जायेगा।

3. यदि संवर्ग में, आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व, 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, निर्दिष्ट आरक्षित प्रवर्ग का संगत चक्रानुक्रम (relevant rotation) छोड़ा (skipped over) जा सकेगा।

परिशिष्ट–दो

पदोन्नति के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 2 से 5 है, के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करने के उदाहरण

उदाहरण क्रमांक–1

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या–02

उपरोक्त 2 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:—

प्रथम पद	—	अनारक्षित
द्वितीय पद	—	अनारक्षित

2. तत्पश्चात् संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (by rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:—

प्रथम प्रतिस्थापन	—	अनुसूचित जनजाति
द्वितीय प्रतिस्थापन	—	अनारक्षित
तृतीय प्रतिस्थापन	—	अनारक्षित
चतुर्थ प्रतिस्थापन	—	अनुसूचित जाति

3. उपरोक्तानुसार एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियां भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी।

4. किसी भी स्थिति में संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित कर) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति आने पर, आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित चक्रानुक्रम छोड़ दिया जायेगा। अर्थात् रिक्ति अनारक्षित मानकर भरी जायेगी।

पदोन्नति के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 2 से 5 है, के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करने के उदाहरण

उदाहरण क्रमांक-2

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या-03

उपरोक्त 2 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक 1 से 3 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:—

प्रथम पद	—	अनारक्षित
द्वितीय पद	—	अनारक्षित
तृतीय पद	—	अनुसूचित जनजाति

2. तत्पश्चात् संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (by rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:—

प्रथम प्रतिस्थापन	—	अनारक्षित
द्वितीय प्रतिस्थापन	—	अनारक्षित
तृतीय प्रतिस्थापन	—	अनुसूचित जाति

3. उपरोक्तानुसार एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियां भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी।

4. किसी भी स्थिति में संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित कर) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति आने पर, आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित चक्रानुक्रम छोड़ दिया जायेगा। अर्थात् रिक्ति अनारक्षित मानकर भरी जायेगी।

पदोन्नति के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 2 से 5 है, के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करने के उदाहरण

उदाहरण क्रमांक-3

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या-04

उपरोक्त 4 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक 1 से 4 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:—

प्रथम पद	—	अनारक्षित
द्वितीय पद	—	अनारक्षित
तृतीय पद	—	अनुसूचित जनजाति
चतुर्थ पद	—	अनारक्षित

2. तत्पश्चात् संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (by rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:—

प्रथम प्रतिस्थापन	—	अनारक्षित
द्वितीय प्रतिस्थापन	—	अनुसूचित जाति

3. उपरोक्तानुसार एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियां भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी।

4. किसी भी स्थिति में संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित कर) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति आने पर, आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित चक्रानुक्रम छोड़ दिया जायेगा। अर्थात् रिक्ति अनारक्षित मानकर भरी जायेगी।

पदोन्नति के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 2 से 5 है, के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करने के उदाहरण

उदाहरण क्रमांक-4

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या-05

उपरोक्त 5 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक 1 से 5 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:—

प्रथम पद	—	अनारक्षित
द्वितीय पद	—	अनारक्षित
तृतीय पद	—	अनुसूचित जनजाति
चतुर्थ पद	—	अनारक्षित
पाँचवा पद	—	अनारक्षित

2. तत्पश्चात् संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (by rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:—

प्रथम प्रतिस्थापन	—	अनुसूचित जाति

3. उपरोक्तानुसार एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियां भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी।

4. किसी भी स्थिति में संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित कर) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति आने पर, आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित चक्रानुक्रम छोड़ दिया जायेगा। अर्थात् रिक्ति अनारक्षित मानकर भरी जायेगी।

शाकेमुभो—2150—असप्रवि—5-3-03—2000.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7/2002/3/एक   भोपाल,दिनांक 29 सितम्बर, 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत पदोन्नतियां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैंकलॉग का निर्धारण एवं पूर्ति तथा रोस्टर का संधारण।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 6 जुलाई, 2002 ।

::0::

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत पदोन्नति आदि के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 6 जुलाई, 2002 के द्वारा जारी किये गये थे। इन निर्देशों की कंडिका (9) एवं (10) में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर चयन की प्रक्रिया के विषय में निर्देश थे।

2- *राज्य शासन, पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित ज्ञाप दिनांक 6.7.2002 की विद्यमान कंडिका (9) एवं (10)* के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है:-

(9) **प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर चयन की प्रक्रिया :-**

(i) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पद पर पदोन्नति का मापदंड "योग्यता सह वरिष्ठता" है तथा बेंचमार्क ग्रेड "बहुत अच्छा" निर्धारित है। यह बेंचमार्क ग्रेड विचाराधीन अवधि के समग्र मूल्यांकन (over all grading) के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।

(ii) उपरोक्त उद्देश्य के लिये लोक सेवकों के विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के वर्गीकरण को अंकों में व्यक्त किया जावे। इसके लिये "उत्कृष्ट" श्रेणी हेतु 4 अंक, "बहुत अच्छा" श्रेणी हेतु 3 अंक, "अच्छा" श्रेणी के लिये 2 अंक, "औसत" श्रेणी के लिये 1 अंक तथा "घटिया" श्रेणी के लिये शून्य अंक निर्धारित किये जायें। जिन लोक सेवकों का विचाराधीन 5 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 13 से 19 अंक आता है उनका विचाराधीन अवधि का समग्र मूल्यांकन "बहुत अच्छा" श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा। जिन लोक सेवकों के विचाराधीन 5 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 20 अंक होता है उन्हें "उत्कृष्ट" श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

(iii) जिन लोक सेवकों को "उत्कृष्ट" श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा उन्हें चयन सूची में सबसे उपर रखा जावेगा। यदि एक से अधिक लोक सेवक "उत्कृष्ट" श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं तो उन्हें उनकी फीडर संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान की पारस्परिक वरिष्ठता बनाये रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात् रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर "बहुत अच्छा" श्रेणी वाले लोक सेवकों को उनकी फीडर संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) उदाहरणार्थ किसी संवर्ग में 3 अनारक्षित रिक्तियों के लिये चयन सूची बनानी है और विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों का वरिष्ठता क्रमांक एवं विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का योग निम्नानुसार है :-

फीडर संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक	**लोक सेवक का नाम**	**विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन का योग**
10	क	15
11	ख	14
12	ग	13
13	घ	16
14	ङ	17
15	च	18
16	छ	20
17	ज	16
18	झ	20
19	ञ	18

उपलब्ध 3 रिक्तियों के लिये चयन सूची निम्नानुसार बनायी जायेगी:-

चयन सूची में सरल क्रमांक	लोक सेवक का नाम	प्राप्तांक	फीडर संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक	
1	छ	20	16	
2	झ	20	18	
3	क	15	10	
4	ख	14	11	} अप्रत्याशित रिक्तियों के लिये
5	ग	13	12 ·	} 2 व्यक्ति

(V) जिन संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षो के आधार पर उक्तानुसार अंकों की गणना की जाएगी।

(Vi) विभागीय पदोन्नति / छानबीन समिति द्वारा विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर अंकों का निर्धारण "स्वीकृतकर्ता अधिकारी" द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। यदि समिति गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह इसके लिये अपने कारण लिपिबद्ध करते हुए मूल्यांकन करेगी परन्तु समिति स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त अंक में केवल "एक" अंक बढ़ा सकेगी अथवा घटा सकेगी। उदाहरणार्थ किसी लोक सेवक के वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन "अच्छा" श्रेणी का किया गया है परन्तु स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने मूल्यांकन "उत्कृष्ट" श्रेणी किया है जिसमें संबंधित लोक सेवक को 4 अंक प्राप्त होने चाहिये। पदोन्नति / छानबीन समिति उसके द्वारा लिपिबद्ध किये गये कारणों से स्वीकृतकर्ता अधिकारी के उपरोक्त मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह उक्त 4 अंकों में केवल "एक" अंक तक ही कम कर सकेगी। इस स्थिति में संबंधित लोक सेवक का वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में पदोन्नति / छानबीन समिति द्वारा किये गये पुर्नमूल्यांकन के आधार पर 3 अंक प्राप्त होंगे।

(10) **<u>मूल्यांकन के मानकों को कम करना -</u>** संविधान के 82 वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में जोड़े गये परन्तुक के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में मूल्यांकन के मानकों को कम करने के उपबंध करने की शक्तियां राज्य शासन को दी गई है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र में निर्धारित मानक वाले अपेक्षित अनुसूचित जाति और / या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते हैं तो पहले निर्धारित मानक पूरा करने वाले आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों के नाम चयन सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। तत्पश्चात् शेष बची

आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये पदोन्नति / छानबीन समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये, निर्धारित मानक ("बहुत अच्छा" न्यूनतम 13 अंक) में क्रमशः एक-एक अंक कम करते हुए न्यूनतम 10 अंक (अच्छा) तक मानक शिथिल किया जाएगा और उक्तानुसार शिथिल किये गये मानक को पूर्ण करने वाले उक्त प्रवर्ग के लोक सेवकों को उनकी फीडर संवर्ग की वरिष्ठतानुसार चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात् निर्धारित मानक "बहुत अच्छा" पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवक अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर शेष बची आरक्षित रिक्तियों के लिये इन प्रवर्ग के लोक सेवकों हेतु मानक (बैंचमार्क ग्रेड) "अच्छा" श्रेणी तक शिथिल किया जाएगा।

यदि उक्त शिथिलीकरण के बाद भी आरक्षित पद बिना भरे रह जाते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी डी.पी.सी. की अनुशंसा अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। साथ ही, मानक के शिथिलीकरण के बाद भी आरक्षित पद नहीं भर पाने संबंधी जानकारी डी.पी.सी. के कार्यवाही विवरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) को विश्लेषण के लिये तत्काल भेजेंगे।"

3- उपर्युक्त उल्लेखित निर्देश, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे और पूर्व में निराकृत प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(एम.के.वर्मा) 29/9/04
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-3-7/2002/3/एक

भोपाल,दिनांक 29 सितम्बर, 2004

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–11/2002/1/3 भोपाल, दिनांक 15 जून, 2009

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में 2 से 5 पदों के लिए मॉडल रोस्टर।
संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 4 मार्च, 2003.

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत 2 से 5 पदों के लिए मॉडल रोस्टर इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–11/2002/1/3, दिनांक 4 मार्च, 2003 द्वारा जारी किया गया है।

2/ 02 से 05 पदों के लिये निर्धारित मॉडल रोस्टर उदाहरण सहित जारी किया गया है। ज्ञापन के संलग्न परिशिष्ट–एक में 03 पदों के लिये मॉडल रोस्टर में तृतीय प्रतिस्थापन "अनुसूचित जनजाति" अंकित है। परिशिष्ट–एक के सरल क्रमांक–3 में चक्रानुक्रम (by rotation) की प्रक्रिया में तृतीय प्रतिस्थापन में मुद्रण त्रुटि के कारण **"अनुसूचित जाति"** के स्थान पर **"अनुसूचित जनजाति"** अंकित हो गया है, अतः परिशिष्ट–एक के सरल क्रमांक–3 में चक्रानुक्रम (by rotation) की प्रक्रिया में तृतीय प्रतिस्थापन **"अनुसूचित जनजाति"** के स्थान पर **"अनुसूचित जाति"** पढ़ा जावे। संशोधित रोस्टर संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/6/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..............2

पृष्ठांकन कमांक सी–3–11/2002/1/3 भोपाल, दिनांक 15 जून,

प्रतिलिपि--

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सा.प्र.वि.मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भ
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/6/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पदोन्नति के मामलों में ऐसे संवर्गों, जिनमें कुल पदों की संख्या 2 से 5 तक है, के लिये मॉडल रोस्टर

संवर्गों में पदों की संख्या (Cadre strength)	पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial recruit ment by promotion)	प्रतिस्थापन क्रमांक (Replacement Number)				
		पहला 1 st	दूसरा 2nd	तीसरा 3rd	चौथा 4th	पांचवा 5th
1.	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति
2.	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	
3.	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति		
4.	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति			
5.	अनारक्षित	अनुसूचित जाति				

टीप :– 1. ऐसे संवर्गों, जिनमें पदो की संख्या 2 से 5 है, उक्त मॉडल रोस्टर की, संवर्ग में पदों की संख्या के कॉलम के नीचे दर्शाई प्रविष्टि क्रमांक 1 से पढ़कर अंतिम पद तक और इसके पश्चात् क्षैतिज स्थिति में (Horizontally) क्षैतिज पंक्ति (Horizontally row) की अंतिम प्रविष्टि तक "L" के समान पढ़ा जायेगा.

2. संवर्ग के सभी पदों को, पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial promotion) के कॉलम में दर्शाये गये प्रवर्गों (Categories) के लिये चिन्हित किया जाना है, ऐसे चिन्हित (earmarked) पदों की प्रारंभिक पूर्ति, होने के बाद, रिक्त होने पर उसका प्रतिस्थापन (replacement) चिन्हित पद के समक्ष चक्रानुक्रम (rotation) से क्षैतिज स्थिति में (Horizontal) संवर्ग के अंतिम पद के विरूद्ध किया जायेगा.

3. यदि संवर्ग में, आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व, 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, निर्दिष्ट आरक्षित प्रवर्ग का संगत चक्रानुक्रम (relevant rotation) छोड़ा (skipped over) जा सकेगा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 नवम्बर 2012—कार्तिक 21, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. एफ-3-12-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम-4 के उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी उपयंत्री के पद से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति, "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी.".

No. C-3-10-2012-One-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amedment in the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (2) of rule 4, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Promotion from the post of sub-Engineer to Assistant Engineer in the Departments of Public Works, Water Resources, Public Health Engineering and also Panchayat and Rural Devlopment shall be made on the basis of "merit-cum-seniority.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. गजभिये, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. सी. 3-12-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में उप नियम (2) के पश्चात्, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् : —

"लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऐसे अन्य विभागों में भी, जहां ऐसा यांत्रिकी संवर्ग विद्यमान है, उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर तथा सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. सी. 3-12-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 27th June 2015

No. C-3-12-2012-I-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (2) of rule 4, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the promotion from the post of Sub-Engineer to Assistant Engineer and Assistant Engineer to Exicutive Engineer in the of Public Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department, Panchayat and Rural Development Department and also in such other Departments where such Engineering cadre exits, shall be made on the basis of "merit-cum-siniority."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.

GOPAL PRASAD CHAUDHARI
Digitally signed by GOPAL PRASAD CHAUDHARI
DN: c=IN, postalCode=470661, st=MADHYA PRADESH, street=DAMOH,SHAKTI NAGAR COLONY ,470661, l=DAMOH, o=Personal, serialNumber=0edc34c85ca0a3e50f3bd468779a974c8853bfae13d292f510d141b9a31801cc, pseudonym=29793a41afde4cd380b1a9ad1dedc48f, 2.5.4.20=ced6a32ff8f92e3b8641da0d0358bb6229b679cea1dbfedef73eea3ad08e7a82, email=PRINCIPALKNMM@GMAIL.COM, cn=GOPAL PRASAD CHAUDHARI
Date: 2023.07.04 12:39:48 +05'30'

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.